सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 03/2018

1. सुरजीत सिंह पुत्र श्री दुलासिंह जाति रामगढिया उम्र 62 वर्ष निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज0)

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री मनोहरलाल सहारण , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

आदेश दिनांक :—12.04.2018

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून इन्साफ व रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत में राजस्व कानून व उसके तहत बने नियमों उपनियमों की पालना नहीं कर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 में कितने एरिया में उद्योग लगा रखा है आरा का निर्माण कर रखा है इस बारे में वस्तु स्थिति की पूरी रिपोर्ट नही मंगा कर पूरा किला विशेष व उसमें पड़ी सम्पति कुर्क करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के पास चक 1 एस डी के मुरब्बा नम्बर 38 में 11 बीघा कृषि भूमि है जो अपीलान्ट की आमदनी का एक मात्र साधन है। खेती पानी की कमी के कारण पूरे रकबा में फसल काश्त नहीं होती इस कारण अपीलान्ट में कृषि कार्य में सहयोग के लिए किला नंबर 3 में 20 फुट गुणा 40 फुट में आरा लगा रखा है तथा इस किला के 70 फुट गुण 70 फुट को सपरिवर्तन करवाने के लिए नगरपालिका, सादुलशहर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका, सादुलशहर की रिपोर्ट साथ संलग्न है जिससे यह साबित है कि सपरिवर्तन की कार्यवाही विचाराधीन है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर राजनैतिक कारणों से त्वरित गति से अपने गलत मनसूबों की पूर्ति के लिए तथा मुझ सीनियर सीटीजन को प्रताड़ित करने के लिए मुझे अतिचारी घोषित कर सम्पति कुर्क कर निलाम करने के आदेश देने में कानूनी गलती की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। मुझ अपीलान्ट के कृषि भूमि में लगाये 20 गुणा 40 फुट के उद्योगिक उपयोग में ना तो कोई सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा और ना ही अपीलान्ट का कृत्य कानून के विरूद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2010 के राज पत्र की विज्ञप्ति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि में बिना सपरिवर्तन करवाये 5 प्रतिशत रकबा का औद्योगिक कार्य में उपयोग कर सकते है। इस तथ्य को जानते हुए भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रकबा कुर्क करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत द्वारा दौराने अपील आरा को बन्द कर रकबा कुर्क कर सम्पति निलाम कर दी गई तो अपीलान्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के

हर्जाना से नही हो सकेगी। अपीलान्ट के पास यही आमदनी का साधन है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मन्जूर फरमाई जाकर अदालत मातहत आदेश दिनांक 09.01.2018 को निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में राजस्व कानून व उसके तहत बने नियमों उपनियमों की पालना नहीं कर मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 में कितने एरिया में उद्योग लगा रखा है आरा का निर्माण कर रखा है इस बारे में वस्तु स्थिति की पूरी रिपोर्ट नही मंगा कर पूरा किला विशेष व उसमें पड़ी सम्पति कुर्क करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के पास चक 1 एस डी के मुरब्बा नम्बर 38 में 11 बीघा कृषि भूमि है जो अपीलान्ट की आमदनी का एक मात्र साधन है। खेती पानी की कमी के कारण पूरे रकबा में फसल काश्त नहीं होती इस कारण अपीलान्ट में कृषि कार्य में सहयोग के लिए किला नंबर 3 में 20 फुट गुणा 40 फुट में आरा लगा रखा है तथा इस किला के 70 फुट गुण 70 फुट को सपरिवर्तन करवाने के लिए नगरपालिका, सादुलशहर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अधिशाषी अभियन्ता, नगरपालिका, सादुलशहर की रिपोर्ट साथ संलग्न है जिससे यह साबित है कि सपरिवर्तन की कार्यवाही विचाराधीन है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर राजनैतिक कारणों से त्वरित गति से अपने गलत मनसूबों की पूर्ति के लिए तथा मुझ सीनियर सीटीजन को प्रताड़ित करने के लिए मुझे अतिचारी घोषित कर सम्पति कुर्क कर निलाम करने के आदेश देने में कानूनी गलती की है इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। मुझ अपीलान्ट के कृषि भूमि में लगाये 20 गुणा 40 फुट के उद्योगिक उपयोग में ना तो कोई सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा और ना ही अपीलान्ट का कृत्य कानून के विरूद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.10.2010 के राज पत्र की विज्ञप्ति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि में बिना सपरिवर्तन करवाये 5 प्रतिशत रकबा का औद्योगिक कार्य में उपयोग कर सकते है। इस तथ्य को जानते हुए भी अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रकबा कुर्क करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत द्वारा दौराने अपील आरा को बन्द कर रकबा कुर्क कर सम्पति निलाम कर दी गई तो अपीलान्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। अपीलान्ट के पास यही आमदनी का साधन है। अपीलार्थी द्वारा नगरपालिका सादूलशहर से सपंरिवर्तन आदेश दिनांक 09.04.2018 को करवा लिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत महताब का आदेश दिनांक 09.01.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिना राजस्व कानून व उसके तहत बने नियमों उपनियमों की पालना किये भू–संपरिर्वतन करवाये आरा चला रखा है और वह कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग कर भू–राजस्व संपरिर्वतन नियमों की अवहेलना की है। अतः तहसीलदार सादूलशहर का आदेश दिनांक 09.01.2018 को बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2018 द्वारा तहसीलदार सादूलशहर ने अपीलार्थी द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि उपयोग आरे के लिए किया इसलिए अपीलार्थी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अनुसार अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया। अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत की भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

नगरपालिका सादुलशहर के क्षैत्राधिकार की है लिहाजा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादूलशहर ही करने में सक्षम है। तहसीलदार सादूलशहर द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपलार्थी ने दौराने बहस नगरपालिका सादूलशहर द्वारा जारी संपरिर्वतन आदेश क्रमांक 24 दिनांक 09.04.2018 पेश किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का संपरिर्वतन सक्षम प्राधिकारी से करवा लिया है इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार सादूलशहर के आदेश दिनांक 09.01.2018 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सादुलशहर को आदेश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी की कुर्क शुद्वा सम्पति विधिवत रूप से सुपुर्द करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सादूलशहर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/4/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।